उत्तर प्रदेश शासन
सहकारिता अनुभाग-1
संख्या-272/49-01-20-08(35)/13टीसी
लखनऊः दिनाँक 13 फरवरी, 2020
कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक, प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंक एवं प्रदेश के समस्त पैक्स के कम्प्यूटराईजेशन (सीबीएस एवं अन्य समस्त सहवर्ती सेवायें/समस्त सुविधाये) हेतु उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० को इम्प्लीमेटिंग एजेन्सी नामित करते हुये योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन कार्यालय ज्ञाप सं0-2230/49-01-2019-08(35)/13 दिनाँक 23-12-2019 द्वारा किया गया है:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०कोआपरेटिव बैंक लि०।
2- निबन्धक द्वारा नामित अपर आयुक्त एवं एवं अपर निबन्धक।
3- निबन्धक, सहकारी समितियों उ०प्र० लखनऊ के वित्त नियंत्रक।
4- आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र०शासन से नामित दो तकनीकी विशेषज्ञ।
5- उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० लखनऊ में कार्यरत वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी।

शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 23-12-2019 द्वारा उक्त गठित कमेटी में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी को भी सम्मिलित किया जाता है।

2- शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।
3- तद्नुसार उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 23-12-2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

एम०वी०एस० रामी रेड्डी,
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-272(1)/49-01-2020. तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।
2- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियों, उ०प्र०, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०/ग्राम विकास बैंक लि० लखनऊ।
4- समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, उ०प्र० ।
5- समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, उ०प्र० ।
6 समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि०, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(मो० जुनीद)
विशेष सचिव